न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 101/2022/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोटा बारां
दायरा दिनांक 31.05.2022
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. राजेश बाई बेवा स्व0 रामप्रसाद जाति बैरवा
2. अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामप्रसाद जाति बैरवा
3. लाला उर्फ हरिओम पुत्र स्व0 रामप्रसाद जाति बैरवा
4. आशिष कुमार पुत्र स्व0 रामप्रसाद जाति बैरवा
5. सोना बाई पुत्री स्व0 रामप्रसाद जाति बैरवा
   निवासीगण कालूपुरा, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां
2. साहब लाल उर्फ साबू पुत्र रामपाल, जाति बैरवा निवासी कालूपुरा सीसवाली तहसील मांगरोल, जिला बारां

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री नरपत सिंह राजावत अभिभाषक –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल, जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण आवंटन दिनांक 22.06.1989 " आवंटी रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल बैरवा नि0 कालूपुरा" गैर खातेदारी हेतु प्रार्थना–पत्र द्वारा राजेश बाई बेवा स्व0 रामप्रसाद वगे0 जाति बैरवा निवासी कालूपुरा सीसवाली में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के द्वारा आवंटी रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति बैरवा निवासी सीसवाली को दिनांक 22.06.1989 को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटित खसरा सं0 461 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सीसवाली का आवंटी रामप्रसाद की दिनांक 30.11.2020 को मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी का उसके वारिसान के नाम गैरखातेदारी इन्तकाल दर्ज किये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी के वारिसान का मौके

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवटन शर्तों की पालना नहीं की जाना मानते हुए उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 22.02.2021 से खारिज किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.20221 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि, न्याय एवं सचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1989 मृतक आवंटी रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल बैरवा का खारिज करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। आवंटी रामप्रसाद की बिमारी के कारण दिनांक 30.11.2020 को ही मृत्यु हो गयी थी। मूल आवंटन दिनांक 13.06.1994 को कैंप सीसवाली में किश्त राशि जमा करवाने गया था, किंतु कैंप निरस्त होने से किश्त जमा नहीं हुई तथा इसके उपरांत कभी उक्त संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। खसरा सं0 461 रकबा 5 बीघा भूमि मृतक आवंटी रामप्रसाद को आवंटित की गयी थी, जिसके हाल खसरा सं0 797 दर्ज किये गये हैं तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण खसरा सं0 797 रकबा 0.80 है0 पर काबिज काश्त हैं। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति से हैं तथा आवंटित आराजी 5 बीघा के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1989 मृतक आवंटी रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल बैरवा का खारिज करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। आवंटी रामप्रसाद की बिमारी के कारण दिनांक 30.11.2020 को ही मृत्यु हो गयी थी। जिसके कारण केवल एक वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर उक्त आराजी रेस्पो0 क्र.2 को दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश विवेचित नहीं होकर अस्पष्ट तथा विधि विरूद्व है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। प्रश्नगत आराजी खसरा सं0 461 रकबा 5 बीघा भूमि मृतक आवंटी रामप्रसाद को आवंटित की गयी थी, जिसके हाल खसरा सं0 797 दर्ज किये गये हैं तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण खसरा सं0 797 रकबा 0.80 है0 पर काबिज काश्त हैं। अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति से हैं तथा आवंटित आराजी 5 बीघा के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गय

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

संभागीय आयुक्त
संभाग, कोटा

6. पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के द्वारा आवंटी रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति बैरवा निवासी सीसवाली को दिनांक 22.06.1989 को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटित खसरा सं0 461 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सीसवाली का आवंटी रामप्रसाद की दिनांक 30.11.2020 को मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी का उसके वारिसान के नाम गैरखातेदारी इन्तकाल दर्ज किये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी के वारिसान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना मानते हुए उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 22.02.2021 से खारिज किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1989 मृतक आवंटी रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल बैरवा का खारिज करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। आवंटी रामप्रसाद की बिमारी के कारण दिनांक 30.11.2020 को ही मृत्यु हो गयी थी। जिसके कारण केवल एक वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर उक्त आराजी रेस्पो0 क्र.2 को दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश विवेचित नहीं होकर अस्पष्ट तथा विधि विरूद्व है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

7. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के द्वारा आवंटी रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति बैरवा निवासी सीसवाली को दिनांक 22.06.1989 को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटित खसरा सं0 461 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सीसवाली का आवंटी रामप्रसाद की दिनांक 30.11.2020 को मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी का उसके वारिसान के नाम गैरखातेदारी इन्तकाल दर्ज किये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय के प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 अनुसार आवंटित भूमि वाके ग्राम सीसवाली खसरा सं0 461 रकबा 5 बीघा के नये खसरा सं0 796/2.02 एवं 797/1.00 है0 बनते हैं, जो सिवायचक दर्ज है तथा जिन पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नही होना बताया गया है तथा खसरा सं0 796/1.60 है0 पर अन्य व्यक्ति रामावतार व सूरजमल पुत्र चतुर्भुज तथा खसरा सं0 797/1.00 है0 पर साहबलाल पुत्र रामपाल बैरवा द्वारा फसल सरसों कर कब्जा काश्त किया हुआ है, आवंटी/आवंटी के वारिसान द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में कथन किया गया है कि आवंटी रामप्रसाद की दिनांक 30.11.2020 को मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में आवंटी रामप्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। आवंटी रामप्रसाद की दिनांक 30.11.2020 की मृत्यु होने के उपरांत दिनांक 11.01.2021 को अपीलार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत आराजी का उसके वारिसान के नाम गैरखातेदारी दर्ज किये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.01.2021 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सिर्फ तहसीलदार मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व की खसरा गिरदावरियों का अवलोकन नहीं किया गया तथा आराजी से संबंधित खसरा गिरदावरी अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 के समय अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में वर्णित किया गया है कि एक वर्ष के लिए रेस्पो0 क्र.2 को मुनाफा काश्त हेतु उक्त आराजी दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध रिकॉर्ड दखलनामा अनुसार तत्समय पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.08.1989 को आवंटी रामप्रसाद को उक्त आराजी पर कब्जा संभला दिया जाना प्रकट होता है। लेकिन तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्रांक 558 दिनांक 03.02.2021 से उपखण्ड अधिकारी मांगरोल को प्रेषित रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा सं0 461 रकबा 5 बीघा के नये खसरा नं0 796/2.02 एवं 797/1.00 है0 बनते हुए उन्हें सिवायचक में दर्ज होना बताया गया है। इस प्रकार आवंटी को यदि तत्समय पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.08.1989 को उक्त आराजी पर दखलनामा दिया जाकर कब्जा संभला दिया गया है तो इसके उपरांत उक्त आराजी "किस प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है" की स्थिति तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 में स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा बिना ठोस आधार एवं प्रकरण का समुचित परीक्षण/जांच किये बिना निर्णय दिनांक 22.02.2021 पारित किया जाना प्रकट होता है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि आवंटन सलाहाकार समिति के द्वारा प्रश्नगत आराजी उपनिवेशन क्षेत्र की होने से आवंटी रामप्रसाद को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन संबंधी) नियम, 1957 के तहत दिनांक 22.06.1989 की कीमतन आवंटित गई है। यदि प्रकरण आवंटन शर्तों की पालना से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन संबंधी) नियम, 1957 के नियम 22 (Powers of cancellation) के अन्तर्गत ही प्रकरण में कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो नहीं किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गलत एवं बिना ठोस आधारों के तथा बिना विवेचन किये पारित किया जाना प्रकट होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 22.02.2021 अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा